राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग,
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
शासन सचिवालय, जयपुर
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

F 61(272)SSAAT / RD/SOC.AUDIT / 2024–25 / 8137 जयपुर, दिनांक 27/11/2024

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला परिषद राजस्थान (समस्त)

विषयः–ग्राम सभा की बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व सामाजिक अंकेक्षण दल को रिकार्ड उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भः–राजस्थान सरकार द्वारा जारी सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शिका 2012 एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी Annual Master circular 2022-23 के प्रावधान अन्तर्गत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं आपका ध्यान सन्दर्भित राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं Annual Master circular 2022-23 के प्रावधानों की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि –

ग्राम पंचायत एवं अन्य एजेन्सी द्वारा करवाए गए / करवाए जा रहे कार्यो की पत्रावलियों की प्रतियॉ तथा निम्नलिखित समस्त रिकॉर्ड एवं निर्धारित प्रपत्रों में सूचना सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा प्राप्त किए जाएंगे –

(1) कार्य योजना
(2) ग्राम सभा के प्रस्ताव / निर्णय
(3) जॉब कार्ड धारकों की सूची (जॉब कार्ड पंजीयन रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक परिवार का नाम)
(4) कार्यवार पत्रावली जिसमें प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति (तखमीना सहित एस्टीमेट की प्रति), कार्य आदेश, कार्य प्रारंभ करने का आदेश, मस्टररोल, भुगतान आदेश, माप पुस्तिका, सामग्री के बिल, वाउचर्स, उपयोगिता / पूर्णता प्रमाण पत्र, समायोजन आदेश, ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की रिपोर्ट संलग्न हों।
(5) रोकड बही
(6) स्टॉक रजिस्टर
(7) परिसम्पत्ति एवं संचयी व्यय रजिस्टर
(8) बैंक / डाकघर में खाता खोलने की सूचना, कुल खाते, भुगतान विवरणी एवं पासबुक
(9) बेरोजगारी भत्ते की सूचना
(10) पिछली सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट मय अनुपालना रिपोर्ट
(11) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग एवं महालेखाकार, राजस्थान की लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं अनुपालना रिपोर्ट
(12) गबन, दुर्विनियोजन एवं राजकीय राशि के दुरूपयोग सम्बन्धी प्रकरणों का विवरण तथा एफ आई आर का विवरण
(13) शिकायत पंजिका
(14) महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों / ... कारियों की सूचना (प्रपत्र सं. 1)
(15) कार्यो की सूचना (प्रपत्र सं. 2)
(16) सामग्री की सूचना (प्रपत्र सं. 3)
(17) माप पुस्तिका के अनुसार कार्य आइटमों की ... (प्रपत्र सं. 4)
(18) मस्टररोल का गोश्वारा (प्रपत्र सं. 5)

Signature valid
Digitally signed by Sandeep Chauhan
Designation : Director
Date: 2024.11.27 17:39:31 IST
Reason: Approved

यदि सामाजिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित अवधि में अभिलेख उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व के निर्वहन में राजकीय कार्मिक/लोकसेवक असफल रहता है तो संबंधित कार्मिक/लोकसेवक को अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दण्डादिष्ट किया जाएगा।

वर्तमान में चल रहे सामाजिक अंकेक्षण में यह ध्यान में आया है कि सामाजिक अंकेक्षण दलो को उपरोक्तानुसार रिकार्ड समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है अथवा अधूरा रिकार्ड उपलब्ध करवा दिया जाता है।

कृपया इस सम्बन्ध में सभी पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतो के अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित करे कि वे उपरोक्त प्रावधान अनुसार पूर्ण रिकार्ड सामाजिक अंकेक्षण दलो को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

(संदीप चौहान)
निदेशक, (SSAAT)

F 61(272)SSAAT/RD/SOC.AUDIT/2024-25/ 8138-44 जयपुर, दिनांक 27/11/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) समस्त
2. कार्यक्रम अधिकारी एवं ब्लॉक विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति
3. संबंधित जिले के जिला संसाधन व्यक्ति (DRP)
4. राज्य संसाधन व्यक्ति (SRP) (समस्त)
5. सामाजिक विकास विशेषज्ञ,(SDS) SSAAT कार्यालय
6. प्रोग्रामर को SSAAT की website पर अपलोड करने हेतु
7. रक्षित पत्रावली

निदेशक, (SSAAT)

Signature valid

Digitally signed by Sandeep Chauhan
Designation : Director
Date: 2024.11.27 17:39:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12062420